Dr. S. S. Pandey

Education in India

भारत में शिक्षा

1

भारत में शिक्षा

- शिक्षा का अर्थ
- भारत में शिक्षा का इतिहास
  1. अंग्रेजी शासन काल में
  2. स्वतंत्रता के बाद
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय / शिक्षा मंत्रालय
- प्रमुख संगठन एवं परिषद
- प्रमुख आयोग एवं समितियां
- संवैधानिक/ वैधानिक प्रयास
- नीतिगत प्रयास
- योजनागत प्रयास
- अन्य प्रयास

2

मानव संसाधन विकास मंत्रालय / शिक्षा मंत्रालय, 2020

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

- प्राथमिक शिक्षा
- माध्यमिक शिक्षा
- प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता
- शिक्षक शिक्षा

उच्चतर शिक्षा विभाग

- विश्वविद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा
- तकनीकी शिक्षा

3

प्रमुख संगठन एवं परिषद

- केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, 1920
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 1929
- भारतीय चिकित्सा परिषद, 1933
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 1945
- राधाकृष्णन आयोग 1948
- वि.वि. अनुदान आयोग 1956
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 1961
- केंद्रीय विद्यालय संगठन, 1962
- कोठारी समिति 1964
- नवोदय विद्यालय समिति, 1986
- राममूर्ति समिति 1990
- यशपाल समिति 1993
- आबिद हुसैन समिति 1995
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, 1995
- ज्ञान आयोग 2005
- सुब्रमण्यम समिति 2015
- के. कस्तूरीरंगन समिति 2017
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 2020

4

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 1929

5

कार्य

1. देश के अंदर एवं बाहर कक्षा 10-12 तक के शिक्षण संस्थाओं को संबंधित करना
2. पाठ्यक्रम का निर्माण एवं नवीनीकरण करना

6

3. 10वीं-12वीं की परीक्षा का संचालन करना एवं प्रमाणपत्र जारी करना
4. परीक्षा के उद्देश्य से संचालित संस्थानों को मान्यता देना
5. स्थानांतरित नौकरी वाले अभिभावकों के बच्चों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना

7

भारतीय चिकित्सा परिषद, 1933

8

कार्य

चिकित्सा शिक्षा संस्थान की स्थापना और उसके उच्च मानकों को बनाये रखना

9

AICTE, 1945

10

11

कार्य

तकनीकी शिक्षा का सर्वेक्षण, विकास तथा गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा देना

Dr. S. S. Pandey

12

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग / राधाकृष्णन आयोग, 1948

13

उद्देश्य

विश्वविद्यालयी शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करना

14

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956

राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर गठन

15

उद्देश्य

विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्द्धन, समन्वयन और अध्यापन परीक्षा, अनुसंधान, विश्वविद्यालयों का विस्तार तथा मानक को बनाये रखना

16

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 1961

17

कार्य

स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार एवं प्रकाशन से संबंधित गतिविधियों का संचालन करना।

18

केंद्रीय विद्यालय संगठन, 1962

19

कार्य

1. भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करना
2. बालिकाओं तथा SC/ST को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना

20

कोठारी आयोग, 1964

21

उद्देश्य

प्रचलित शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना और इसको बेहतर बनाने हेतु रूपरेखा तैयार करना

22

नवोदय विद्यालय समिति, 1986

23

कार्य

1. 1986 की शिक्षा नीति के तहत मॉडल विद्यालय के रूप में स्थापित और दो प्रायोगिक विद्यालय के साथ प्रारंभ जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना
2. स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान (33% आरक्षण)

24

3. राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना
4. संपूर्ण देश में हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा सुविधा प्रदान करना एवं साझा पाठ्यक्रम तैयार करना
5. स्कूल की स्थापना, छात्रावास व्यवस्था एवं प्रबंधन करना

25

राममूर्ति समिति, 1990

26

उद्देश्य

1986 की शिक्षा नीति का मूल्यांकन करना

27

यशपाल समिति, 1993

28

उद्देश्य

विश्वविद्यालयी शिक्षा प्रणाली एवं उसके पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना व सुझाव देना

29

आबिद हुसैन समिति, 1995

30

उद्देश्य

लघु उद्योगों के विकास तथा कौशल विकास की प्रचलित व्यवस्था की समीक्षा करना और इसको शिक्षा प्रणाली के साथ समायोजित करना

31

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, 1995

32

कार्य

संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनागत और समन्वित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना और अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों एवं मापदण्डों का विनियमन करना

33

ज्ञान आयोग, 2005

34

उद्देश्य

डॉ. सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में भारत को गहन ज्ञान सेवा क्षेत्र के विकास हेतु तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु अध्ययन एवं सुझाव प्रदान करना

35

प्रमुख सिफारिशें

36

1. अंग्रेजी की पढ़ाई पहली कक्षा से प्रारंभ हो
2. परीक्षा प्रणाली में आंतरिक मूल्यांकन पर बल दिया जाये
3. स्कूली शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा परस्पर संबंधित हो
4. शिक्षा नौकरी उन्मुख हो

37

5. 'Global Tech. Acquisition Fund' स्थापित करके भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक शिक्षा व्यवस्था के साथ समायोजित किया जाये
6. अगले 10 वर्ष में 50 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और 1500 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाये
7. 'उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण' एवं 'राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग' का गठन किया जाये

38

सुब्रमण्यम समिति, 2015

39

कार्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार करना

40

कस्तुरीरंगन समिति, 2017

Dr. S. S. Pandey

कार्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फाइनल ड्रॉफ्ट तैयार करना

41

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, 2020

42

कार्य

देश में चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय का विनियमन करना और संपूर्ण भारत में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा प्रणाली को विकसित करना

43

Dr. S. S. Pandey

प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा

44

परिचय

45

किसी बच्चे के समग्र व्यक्तित्व का विकास एवं आधुनिक भारत के निर्माण के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु 6-14 वर्ष के बच्चों को दी जाने वाली आधुनिक शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। इसके निम्न खण्ड हैं–

A. Elementary Education
   1. Primary – Class 1 to 5
   2. Upper Primary – Class 6 to 8

B. Secondary Education
   1. Lower Secondary – Class 9 to 10
   2. Upper Secondary – Class 11 to 12

46

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के समक्ष चुनौतियाँ

47

1. वित्त की समस्या

(भारत में GDP का 3.4% - जबकि वैश्विक औसत 4.9%, और NEP - 2020 का लक्ष्य 6%)

48

2. आधारभूत संरचना का अभाव

UNICEF की रिपोर्ट - 2016

- 30% स्कूल में पेयजल नहीं
- 31% स्कूल में लड़कियों हेतु शौचालय नहीं
- 1800 से अधिक स्कूल टेंट में या पेड़ के नीचे संचालित
- 24000 स्कूल कच्चे भवन में संचालित
- केवल 24% भारतीय के पास E-शिक्षा के लिए इंटरनेट - फलत: कोविड के काल में 80% छात्रों ने कम सीखा (UNICEF - 2022)

49

3. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव

- वर्तमान में 12 लाख शिक्षक के पद खाली और प्राथमिक शिक्षा शिक्षामित्र के हवाले
- प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक चुनाव, जनगणना आदि कार्यों में शामिल

50

4. छात्र-शिक्षक अनुपात अपर्याप्त
   - वर्तमान में औसतन 55:1 और कहीं-कहीं 200:1 (RTE का लक्ष्य 30:1/35:1)
   - 1.2 लाख स्कूल में केवल एक शिक्षक
5. प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव

51

6. ड्रॉपआउट की समस्या
   - 1 करोड़ छात्र स्कूल से बाहर
   - प्राथमिक विद्यालय में 40% ड्रॉपआउट (MDMY के पहले 70% ड्रॉपआउट)

52

7. शैक्षिक विषमता (NSSO-2016)
8. दोहरी शिक्षा व्यवस्था
9. गरीबी तथा रोजगारपरक शिक्षा का अभाव
10. शैक्षिक योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार

53

प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु किए गए प्रयास

54

प्रारंभिक शिक्षा विकास हेतु संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास

55

1. अनुच्छेद 21(A), 41, 45, 51(A) K
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

56

प्रारंभिक शिक्षा विकास हेतु नीतिगत प्रयास

57

राष्ट्रीय शिक्षा नीति,
1968, 1986, 2020

58

प्रारंभिक शिक्षा विकास हेतु योजनागत प्रयास

59

1. सर्वशिक्षा अभियान, 2001
2. मध्याह्न भोजन योजना, 1995-2001
3. शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा (NGSAIE), 2002
4. प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL), 2003
5. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, 2004

60

Dr. S. S. Pandey

61

6. मॉडल स्कूल योजना, 2007
7. लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना, 2008
8. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, 2009
9. बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ योजना, 2015
10. राष्ट्रीय अविष्कार अभियान, 2015
11. विद्यान्जली योजना, 2016

62

12. अटल नवाचार मिशन, 2016
13. समग्र शिक्षा योजना, 2018
14. ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, 2019
15. समग्र शिक्षा अभियान 2.0, 2021
16. पी.एम. पोषण योजना, 2021

63

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु सुझाव

64

1. शिक्षा पर व्यय को बढ़ाया जाए (NEP, 2020 - 6%)
2. विद्यालयों की आधारभूत संरचना विकास पर बल दिया जाये
3. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाये और इस हेतु योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का चयन हो एवं शिक्षा की नवीन पद्धतियों का प्रयोग हो

65

4. ड्रॉपआउट की समस्या को रोका जाये और इस हेतु-
   - रोजगार उन्मुख शिक्षा;
   - अभिभावकों को शिक्षा;
   - बालश्रम निषेध कानून का क्रियान्वयन आदि पर बल दिया जाये

66

5. शिक्षण को रूचिकर बनाया जाये
6. दोहरी शिक्षा प्रणाली को दूर किया जाये और इसे हेतु –
   - निजी विद्यालयों में शुल्क नियंत्रण तथा सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारा जाय
   - 25% आरक्षण के प्रावधान को सख्ती से लागू किया जाये

67

7. योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया जाये
8. शिक्षा के क्षेत्र में विषमता को दूर किया जाये।

68

Dr. S. S. Pandey

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009 (RTE Act, 2009)

69

सभी को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु RTE Act, 2009 में पारित और अप्रैल 2010 से लागू

70

प्रमुख प्रावधान

1. 5 वर्ष की अवधि में सभी को 8वीं कक्षा तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना
2. बसावट के 2 किमी. के दायरे में प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किमी. के दायरे में माध्यमिक विद्यालय (13.6 लाख) की स्थापना
3. 5वीं कक्षा तक प्रत्येक 30 बच्चों पर एक शिक्षक और 6 से 8वीं तक प्रति कक्षा प्रति विषय एक शिक्षक

71

4. शिक्षकों हेतु योग्यता का निर्णय सरकार द्वारा निर्धारित 'शिक्षा प्राधिकरण' द्वारा (2011 से भारत में शिक्षकों की बहाली में अनिवार्य अर्हता CTET /TET पास करना)
5. शिक्षकों के प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर रोक
6. धारा 12(1)(c) केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एवं निजी विद्यालयों में 25% सीटें वंचित वर्गों एवं अधिक दृष्टि से कमजोर के बच्चों के लिए आरक्षित

↓

72

Note : अप्रैल 2011 में SC ने निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण को संवैधानिक करार दिया

Note : 2016 में 'राष्ट्र की स्थिति' पर रिपोर्ट प्रकाशित जिसमें कहा गया कि धारा 12(1)(c) का उल्लंघन हो रहा है

7. बच्चों के स्क्रीनिंग टेस्ट पर रोक

73

8. धारा 16 - प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 8 तक किसी कक्षा में रोकना (फेल) एवं विद्यालय से निकालना प्रतिबंधित (No Detention Policy)

↓

(18 राज्य सरकारों द्वारा इसे हटाने की माँग - राजस्थान एवं दिल्ली सरकार द्वारा इस प्रावधान की वापसी हेतु विधेयक पारित, फलतः 2019 में RTE में संशोधन द्वारा समाप्त)

74

9. प्रत्येक बच्चे को अपने पड़ोस के विद्यालय में 8वीं कक्षा तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्ति का अधिकार और किसी भी बच्चे को स्कूल द्वारा प्रवेश देने से इंकार करना प्रतिबंधित
10. अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना अभिभाव का मौलिक कर्तव्य [51(a)(k)]

75

11. विद्यालय के कामकाज की निगरानी 'पाठशाला प्रबंधन समिति' द्वारा (School Management Committee)
12. प्राथमिक विद्यालयों के समुचित क्रियाकलापों हेतु 'National Commission for Protection of Child Rights' तथा 'National Advisory Council' उत्तरदायी
13. केन्द्र और राज्य के बीच खर्च का अनुपात 65 एवं 35

76

RTE की प्रमुख बाधाएँ / चुनौतियाँ

↓

77

1. कानून में निहित खामियाँ
   (i) शिक्षा के निजीकरण एवं बाजारीकरण के दुष्परिणामों को रोकने का प्रावधान नहीं
   (ii) फीस नियंत्रण कानून का अभाव

↓

78

(iii) शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता और वेतन का निर्धारण सरकार की इच्छा पर आधारित– फलतः अर्हता का उल्लंघन या ठेके और दैनिक मजदूरी वाले शिक्षक की बहाली संभव (शिक्षामित्र आदि)
(iv) स्कूल भवन और शिक्षकों के मानदण्ड का अभाव

79

(v) शिक्षकों को गैर-शिक्षण कार्यों में (जैसे जनगणना, चुनाव ड्यूटी, आपदा राहत आदि में) लगाने की छूट का प्रावधान गलत
(vi) कोचिंग उद्योग को रोकने के प्रावधान का अभाव
(vii) निजी स्कूलों को 'स्कूल प्रबंधन समिति' के प्रावधान से बाहर रखने का प्रावधान अनुचित

80

81

2. वित्तीय संसाधन का अभाव
3. कानून को दृढ़ इच्छाशक्ति से लागू नहीं करने की प्रवृत्ति
4. दोहरी शिक्षा/सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का निम्न स्तर (शैक्षिक स्थिति की वार्षिक रिपोर्ट 2014 – ग्रामीण भारत में कक्षा 5 का प्रत्येक दूसरा छात्र कक्षा 2 का पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ सकता)
5. गरीबी, ऋणग्रस्तता, बालश्रम की समस्या और शिक्षा का रोजगारपरक नहीं होना आदि

82

RTE को सफल बनाने हेतु सुझाव

83

1. सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाए
2. शिक्षकों की योग्यता, वेतन आदि नियमों को स्पष्टत: परिभाषित किया जाए
3. 5वीं तक प्रति कक्षा एक शिक्षक का प्रावधान हो
4. चुनाव, जनगणना एवं आपदा राहत में शिक्षकों की नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध हो

84

5. प्री प्राइमरी शिक्षा को भी इसके अन्तर्गत शामिल किया जाए (NEP 2020 के प्रस्ताव में शामिल)
6. निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण हेतु अधिसूचित फीस को कैपिटेशन फीस की परिभाषा में शामिल किया जाए

85

7. 'स्कूल प्रबंधन समिति' का प्रावधान निजी स्कूलों में भी लागू हो
8. प्राइवेट ट्यूशन को विनियमित किया जाए
9. ज्ञान आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए

86

बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019

87

प्रमुख संशोधन

1. No Detention Policy को जारी रखना है या नहीं यह अधिकार राज्य सरकार को
2. क्लास 5 और 8 में नियमित परीक्षा का प्रावधान और कोई बच्चा फेल हो जाता है तो दो महीने के भीतर पुन:परीक्षा देने का अतिरिक्त अवसर देने और इसके लिए उसे 2 महीनें का उपचारात्मक शिक्षा देने का प्रावधान

88

इसके बाद भी यदि बच्चा फेल हो जाता है तो राज्य सरकार को यह निर्णय लेने का अधिकार कि उसे उसी क्लास में रोका जाय या नहीं।

89

Dr. S. S. Pandey

सर्व शिक्षा अभियान, 2001

90

परिचय

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु 2001 में प्रारंभ

उद्देश्य

1. प्रारंभिक शिक्षा तक **सभी की पहुँच** सुनिश्चित करना
2. लैंगिक एवं सामाजिक श्रेणी के **अंतर** को समाप्त करना
3. बच्चों के अध्ययन के **स्तर** में वृद्धि करना
4. सामुदायिक स्वामित्व एवं **विकेन्द्रीकृत प्रबंधन** के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा की **गुणवत्ता** में सुधार करना

91

संचालन

1. इसका संचालन **दो स्तरों** पर
   (i) 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा
   (ii) 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा
2. सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र शामिल
   (11 लाख बस्तियों में लगभग 19.8 करोड़ बच्चे शिक्षारत)

92

3. सर्वशिक्षा अभियान के तहत कई **उपयोजनाओं** का संचालन, जैसे–
   (i) मध्यान्ह भोजन योजना
   (ii) Education Guaranty Scheme & AIE
   (iii) NPEGEL
   (iv) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना

93

Dr. S. S. Pandey

मध्यान्ह भोजन योजना
1995 – 2001
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (2021)

94

परिचय

सर्वशिक्षा अभियान के उप योजना के रूप में 2001 से मध्यान्ह भोजन योजना प्रारंभ – जिसके तहत प्रत्येक **सरकारी** और **सरकारी सहायता प्राप्त** प्राथमिक स्कूल के प्रत्येक बच्चे को न्यूनतम **200 दिनों** के लिए प्रतिदिन **12 ग्राम प्रोटीन** और **450 कैलोरी** युक्त भोजन दिया जाता है (अप्रैल 2008 में इसका विस्तार देश के सभी क्षेत्रों तक)

95

MDMY का उद्देश्य

1. कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के **पोषण** के स्तर में सुधार करना
2. गरीब बच्चों के **ड्रॉपआउट** को रोकना और उन्हें कक्षा कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु सहायता देना

96

3. **अकाल** पीड़ित क्षेत्रों में बच्चों के **पोषण** संबंधी सहायता देना
4. जाति, वर्ग एवं लैंगिक **भेदभाव** को कम करना

दिसंबर 2023 तक इस योजना में 12 करोड़ से अधिक बच्चे शामिल

97

MDMY की चुनौतियाँ

1. भ्रष्टाचार
2. गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न का अभाव
3. अप्रशिक्षित रसोईया
4. समय पर भुगतान का अभाव
5. निगरानी एवं समन्वयन की समस्या
6. सामाजिक – आर्थिक विषमता फलत: छुआछूत / भेदभाव की समस्या

98

MDMY की सफलता हेतु सुझाव

1. **भ्रष्टाचार** मुक्त योजनाएँ
2. **FCI** द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत एवं गुणवत्तापूर्ण बनाया जाय

99

3. **रसोईए** को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए, **केन्द्रीकृत किचन** प्रणाली का प्रयोग किया जाए (NGO के सहयोग से) या SHG के रूप में महिला अभिभावकों का प्रयोग किया जाए

(इस दिशा में ASHA के लगभग 8 लाख कर्मचारियों, NSS तथा अन्य एजेंसियों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है)

100

101

4. भुगतान प्रणाली को दुरूस्त किया जाए और मंहगाई के अनुरूप बजट का प्रावधान किया जाय
5. निगरानी एवं समन्वय प्रणाली को दुरूस्त किया जाए और इसमें अभिभावकों की सहभागिता बढ़ाई जाए
6. इस योजना के उद्देश्यों के अनुरूप जातीय एवं वर्गगत असमानता को समाप्त किया जाए

102

7. इस योजना का विस्तार प्री प्राइमरी के बच्चों तक किया जाए (2021 में PM पोषण योजना में विस्तार)
8. 5वीं 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्रों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों एवं बीमारू राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के निजी स्कूलों में भी इसका विस्तार हो

103

योजना में नवीन सुधार

1. भोजन की गुणवत्ता परखने का दायित्व राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को
2. 'संयुक्त समीक्षा मिशन' द्वारा इस योजना की गुणवत्ता की समीक्षा
3. मास्टर रसोइये को पर्यटन मंत्रालय द्वारा विशेष प्रशिक्षण

104

2021 में इसका नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना' कर दिया गया और इसमें 'पूर्व प्राथमिक कक्षाओं / बालवाटिका' (3 -5 वर्ष आयु के बच्चों) के छात्रों को भी शामिल किया गया

105

Dr. S. S. Pandey

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, 2004

106

1. यह एक आवासीय विद्यालय योजना है
2. SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक की लड़कियों हेतु आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल स्थापित करने का प्रावधान
3. इस आवासीय विद्यालय में SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए 75% तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लड़कियों के लिए 25% सीटों का प्रावधान

107

Dr. S. S. Pandey

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान - 2009

108

माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु 2009 में 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' प्रारंभ

109

प्रमुख उद्देश्य

1. किसी बस्ती से तर्कसंगत दूरी के अंतर्गत माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर माध्यमिक स्तर पर 100% नामांकन सुनिश्चित करना (मात्रात्मक)
2. माध्यमिक स्कूल की गुणवत्ता में सुधार करना (गुणात्मक)

110

3. माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक एवं अपंगता की बाधा को दूर करना
4. 2017 तक माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना तथा 2020 तक सभी बच्चों को स्कूल में भर्ती कराना

111

Dr. S. S. Pandey

समग्र शिक्षा योजना
2018
समग्र शिक्षा अभियान, 2.0
2021

112

Dr. S. S. Pandey

समग्र शिक्षा अभियान, 2.0
2021

113

Dr. S. S. Pandey

विद्यांजली योजना
2016

114

उद्देश्य

सरकारी विद्यलयों में स्वयंसेवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य निष्पादित करके शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना और छात्रों के समग्र व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाना

115

प्रावधान / लक्षण

1. इस योजना के तहत स्वयंसेवियों द्वारा छात्रों के शैक्षिक एवं सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जाता है और इस हेतु छात्रों में कौशल विकास, रचनात्मक लेखन, गायन, नृत्य, भाषण आदि का विकास किया जाता है

116

2. ये स्वयंसेवी सरकारी स्कूल में नियमित और व्यावसायिक शिक्षक का स्थान नहीं लेंगे
3. इन स्वयंसेवियों को पढ़ाने हेतु कुछ न्यूनतम अर्हता एवं प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा
4. इन स्वयंसेवियों को कोई भी मौद्रिक भुगतान नहीं किया जाएगा
5. इस योजना के अन्तर्गत 2 कार्यक्षेत्र हैं–
   - स्कूल सेवा / गतिविधि में भाग लें
   - संपत्ति / सामग्री / उपकरण का योगदान करें

117

6. 2021 में सरकार द्वारा इस योजना के तहत एक नये पोर्टल - विद्यांजली 2.0 की शुरूआत
7. दिसंबर 2022 तक 1,10,874 स्वयंसेवक इससे जुड़ चुके हैं
9. इस योजना में अनिल कुंबले, टिंवकल खन्ना, किरन रिजिजू आदि शामिल

118

Dr. S. S. Pandey

राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020

119

परिचय

केंद्र सरकार द्वारा 29 जूलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 में स्कूली शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधारों का प्रस्ताव किया गया है।

120

मुख्य उद्देश्य / लक्षण

1. प्री-प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना
2. 3-6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना

3. नई शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 के अन्तर्गत 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के सभी बच्चे शामिल
   - Foundational Stage – 5 वर्ष
   - Preparatory Stage – 3 वर्ष
   - Middle Stage – 3 वर्ष
   - Secondary Stage – 4 वर्ष

121

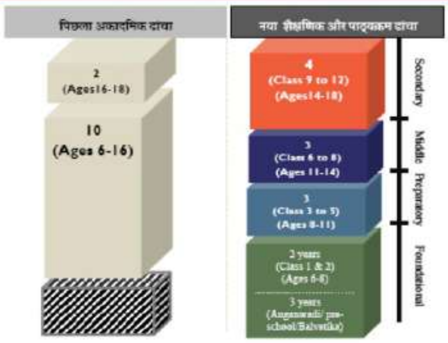

122

4. 2030 तक प्रीस्कूल से माध्यमिक स्तर तक GER को 100% तक बढ़ाने का लक्ष्य

5. भाषायी विविधता को बढ़ावा देते हुए कम से कम क्लास 5 तक और अधिमानतः क्लास 8 और उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा / मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा

123

6. कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं

7. मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Foundational Literacy & Numeracy) की स्थापना जिसके द्वारा 2025 तक क्लास-3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा

124

8. किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान दो अवसरों पर बोर्ड परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए (यदि वांछित हो)

9. एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, 'परख' (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना

10. सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDG) की शिक्षा पर विशेष जोर

125

11. वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक अलग लिंग समावेशन निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र

12. स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार और क्लास 6 से शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा शामिल और इंटर्नशिप की व्यवस्था भी

126

13. शिक्षकों की भर्ती और योग्यता आधारित प्रदर्शन के लिए मजबूत और पारदर्शी प्रक्रियाएँ

14. स्कूल परिसरों और समूहों के माध्यम से सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना

15. 'राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण' (SSSA) की स्थापना

127

16. व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में GER को 26.3% (2018) से 2035 तक 50% तक बढ़ाना साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ना

17. सकल नामांकन अनुपात (GER) बढ़ाने के लिए खुली और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार

18. व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग होगी

128

19. NTA द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन

20. एकाधिक प्रवेश / निकास विकल्प

21. समग्र और 'बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों' (MERU) की स्थापना

22. उच्च शिक्षण संस्थान में प्राप्त अंकों या क्रेडिट को सुरक्षित रखने हेतु Academic Bank of Credit की स्थापना

129

23. शिक्षक शिक्षा सहित (चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर) उच्च शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एकल सर्वव्यापी छत्र निकाय 'भारतीय उच्च शिक्षा आयोग' (HECI) का गठन और इसके अन्तर्गत चार अन्य परिषदों का गठन–
   (i) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद् (NHERC)
   (ii) राष्ट्रीय प्रत्यायन (मान्यता) परिषद् (NAC)
   (iii) उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद् (HEGC)
   (iv) सामान्य शिक्षा परिषद् (GEC)

130

131

24. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना
25. शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बल
26. 100% युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना

132

27. सीखने, मूल्यांकन, योजना, प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान-प्रदान के हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय– राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (NETF) का निर्माण और शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उचित एकीकरण

133

28. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर समग्र ध्यान केंद्रित करने के लिए समन्वय सुनिश्चित करने हेतु 'केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' को मजबूत करना
29. भारतीय परंपरा एवं संस्कृति के प्रोत्साहन पर बल
30. केंद्र द्वारा राज्य के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश जीडीपी के 6% तक

134

NEP – 2020 की चुनौतियाँ

1. वित्तपोषण में कठिनाई
2. राज्यों द्वारा पूर्ण सहयोग में कठिनाई
3. मानव संसाधन की अपर्याप्तता
4. विदेशी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से उच्च शिक्षा के महंगा होने की संभावना
5. 'त्रिभाषा' सूत्र तथा 'परंपरा एवं संस्कृति' पर बल देना वैश्वीकरण के वर्तमान युग में अप्रासंगिक